

# कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002

INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI-110 002

## प्रशासन II


संख्या: प्रशा. II/6-5/प्रा.चि.परि.नि./2020-21/ 5046- 5088

दिनांक: 03.03.2020

**विषय: प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों (Authorised Medical Attendants) का कार्यकाल पुनः एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने तथा नए प्राधिकृत चिकित्सा परिचर की नियुक्ति के संबंध में।**

अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए नियुक्त किए सभी प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों (Authorised Medical Attendants) के कार्यकाल की अवधि दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हो रही है। इस संबंध में इस कार्यालय के केंद्र नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जो सी.जी.एच.एस. की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा उनका क्षेत्र CGHS covered area में नहीं आता है, से अनुरोध है कि वह अपने क्षेत्र के लिए पहले से नियुक्त प्राधिकृत चिकित्सा परिचर का कार्यकाल वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ाने हेतु अपने आवेदन प्राधिकृत चिकित्सा परिचर की सहमति व उनकी Undertaking सहित दिनांक 28.02.2020 तक प्रशासन II अनुभाग में अवश्य भिजवा दें। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने क्षेत्र के लिए नए प्राधिकृत चिकित्सा परिचर की नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में डॉक्टर का Verification Form (Annexure "C") उसका Declaration और Undertaking प्रस्तुत करने होंगे। नए AMA की नियुक्ति डॉक्टर की Police Verification एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत ही की जाएगी।

संलग्नक: यथोवर्णित

 03/03/20

व. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

डाक सूची के अनुसार